न्यायालय–अवर न्यायाधीश द्वितीय, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–80/2017

CIS NO. TS 86/2019

शकीना खातुन एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

मु0 अबुलैश एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
29.08.2024	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। वादीगण की ओर से एक संशोधन आवेदन दिनांक 03.08.2023 अंतर्गत आदेश 06 नियम 17 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत दाखिल किया गया है, जो आज दिनांक 29.08.2024 को सुनवाई एवं आदेश हेतु नियत है। **आदेश (ORDER)** वादीगण की ओर से अपने आवेदन में कहा गया है कि प्रस्तुत वाद में ड्राफ्ट्मैंन एवं टंटक की गलती से वादपत्र में चन्द्रावती द्वारा निष्पादित मुख्तारनामा का चर्चा होना छुट गया है। वाद अभी प्रारंभिक अवस्था में है। वाद वादी साक्ष्य हेतु नियत है। प्रस्तावित संशोधन महज औपचारिक है। इससे वाद की प्रकृति पर कोई असर नही पड़ता है। चन्द्रावती द्वारा अपने नाम की खरीदगी भूमि और अपने पति के नाम की खरीदगी के संदर्भ में विरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव के पक्ष में निष्पादित मुख्तारनामा प्रतिवादीगणों द्वारा स्वीकृत तथ्य है फलतः संशोधन आवेदन से प्रतिवादीगणों को कोई क्षति होने की संभावना नहीं है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि वादीगण के संशोधन आवेदन को स्वीकार करने की कृपा करें। इसके लिए वादीगण श्रीमान् के सदैव आभारी रहेंगें। प्रतिवादी सं0–01 की ओर से वादीगण के आवेदन का प्रत्युत्तर दिनांक 06.11.2023 को दाखिल किया गया तथा कहा गया कि वादीगण का आवेदन विधि एवं तथ्य की दृष्टिोण से पोषणीय नहीं है बल्कि खारिज होने योग्य है। प्रस्तुत वाद में सभी पक्षकारों की ओर से साक्ष्य समाप्त हो गया है। प्रस्तुत आवेदन प्रतिवादीगण को परेशान करने तथा न्यायालय का समय बर्वाद करने के उददेश्य से दाखिल किया गया है। अतः आवेदन खारिज किया जाय। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया।	

न्यायालय–अवर न्यायाधीश द्वितीय, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–80/2017

CIS NO. TS 86/2019

शकीना खातुन एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

मु0 अबुलैश एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 29.08.2024	अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद प्रतिवादी साक्ष्य हेतु नियत है। आदेश 06 नियम 17 में कोई भी पक्षकार न्यायालय कार्यवाही के किसी भी प्रक्रम पर अपने अभिवचनों को परिवर्तित या संशोधित करने के लिए अनुज्ञाप्त कर सकेगा और वे सभी संशोधन किये जायेगें। जो दोनो पक्षों के बीच विवादग्रस्त वास्तविक प्रश्नों के आवधारण के परियोजन के लिए आवश्यक हो। वादीगण का प्रस्तावित संशोधन सामान्य प्रकृति का है। इससे वाद की प्रकृति पर कोई प्रभाव पड़ना प्रतीत नही होता है लेकिन वादीगण के द्वारा अगर वादपत्र दाखिल करते समय सतर्कता बरती जाती तो प्रस्तुत आवेदन की आवश्यकता नही होती। अतः ऐसी दशा में न्यायहित में वादीगण का आवेदन दिनांक 03.08.2023 मो0–1000/– रूपये हर्जे पर स्वीकृत किया जाता है तथा उनके विद्वान अधिवक्ता को निर्देश दिया जाता है कि वह विधिक समय सीमा के तहत वादपत्र में आवेदनानुसार अपेक्षित संशोधन करें तथा प्रतिवादीगण को भी स्वत्रंतता होगी की वह वादपत्र में संशोधन के परिपेक्ष्य तक प्रतिवाद पत्र में अगर आवश्यक समझें तो संशोधन कर सकता है। वाद दिनांक 27.09.2024 को प्रतिवादी साक्ष्य हेतु नियत। लेखापित अवर न्यायाधीश, द्वितीय नरकटियागंज	